

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]	दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2013/वैशाख 24, 1935	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 35
No. 81]	DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2013/VAISAKHA 24, 1935	[N.C.T.D. No. 35

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशासनिक सुधार विभाग

ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

दिल्ली, 14 मई, 2013

Delhi, the 14th May, 2013

सं. फा. 12/02/2013-प्र.सु./6127-6289/सी.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिनांक 25-09-1997 के संकल्प सं. 4/14/94-प्र.सु. जो दिनांक 30-07-1998 के संकल्प संख्या फा. 4/14/94-प्र.सु. और अधिसूचना संख्या फा. 12/4/2011/प्र.सा. दिनांक 27-02-2012 के अनुसार संशोधित हुआ, के पैराग्राफ 2 के खंड ए के उप-खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, श्रीमती निशा सैमुअल को दो वर्षों की अवधि के लिये, उपरोक्त संदर्भित संकल्प में यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार, जन शिकायत निवारण आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती निशा सैमुअल दो वर्षों की अवधि के लिए, दिनांक 14 मई, 2013 से 13 मई, 2015 तक अपने पद पर बनी रहेंगी।

डॉ. एम.एम. कुट्टी, प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

F. No. 12/02/2013/AR/6127-6289/C.—In pursuance of sub-clause (i) of clause A of paragraph 2 of Government of National Capital Territory of Delhi Resolution No. F. 4/14/94-AR, dated 25-9-1997 as amended vide Resolution No. F. 4/14/94-AR dated 30-07-1998 and Notification No. F. 12/04/2011/AR, dated 27-2-2012, the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Nisha Samuel as Part Time Member of Public Grievances Commission, Government of National Capital Territory of Delhi w.e.f. 14th May, 2013 for a period of two years, subject to the terms and conditions as stipulated in the above referred Resolutions.

Smt. Nisha Samuel shall hold the office for a period of two years from 14-05-2013 to 13-05-2015.

Dr. M. M. KUTTY, Pr. Secy. (AR)